

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE : HEADQUARTERS  
TIS HAZARI COURTS : DELHI

---

PUBLIC NOTICE

Sealed quotations are invited from interested parties/contractors/bidders to offer their rate as a lot on lump-sum basis towards the purchase of loose parts of various law journals and badly torn mutilated books/Bare Acts as scrap available in the Library at Tis Hazari Court Complex, Delhi, on "As is where is basis".

Terms and Conditions towards submitting of Quotation:-

1. The willing bidders may inspect the aforementioned loose journals/badly torn mutilated books/bare acts/scrap lying in the gallery of Library's Store on 17.02.2025 during office hours & on 18.02.2025 till 03:00 pm only.
2. The rates will be given in a sealed envelope latest by 03.30 p.m. on 18.02.2025 which will be collected in a sealed box placed in the Care Taking Branch, Room No. 305, Third Floor, Tis Hazari Courts, Delhi. No bidder will be allowed to put his quotation after 03:30 pm on 18.02.2025.
3. The applicants would be required to submit a refundable Security Deposit of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only), in form of Demand Draft/Pay Order in favour of "Principal District & Sessions Judge (HQs.), Delhi" or same amount in cash alongwith their quotation and in absence of security deposit, the quotation shall not be considered in any circumstances.
4. The security amount of all unsuccessful bidders shall be returned after award of work to the successful bidder and security amount of successful bidder will be adjusted in the bid amount.
5. The rate quoted in the sealed quotation will be considered as final rate of the concerned bidder and no opportunity to increase or decrease the said rate will be given to any one.
6. The said sealed quotations shall be opened on 18.02.2025 at 04:00 pm in the Conference Room, Ground Floor, Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi in the presence of the bidders who will be available at that time.
7. The successful bidder will be allowed to remove/take-away the auctioned material after depositing of complete amount of bid only.
8. The full & final amount/payment towards the highest bid shall be deposited by the successful bidder on the next working day of opening of sealed quotations i.e. 19.02.2025 by 12:00 noon positively, otherwise his/her security amount will be forfeited and work will be awarded to the next/second highest bidder.
9. The payment of successful bidder will be forfeited (with the permission of Condemnation Board), if the material will not be removed completely within 05 days of award of work.
10. The arrangement towards manpower and transportation to remove/take-away the auctioned material shall be the responsibility of successful bidder only and no manpower shall be provided by the Court Administration.

(BHARAT AGGARWAL)  
Administrative Civil Judge (Central)  
Tis Hazari Courts, Delhi

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: (मुख्यालय)  
तीस हजारी न्यायालय : दिल्ली।

सार्वजनिक नोटिस

इच्छुक पार्टियों/ठेकेदारों/बोलीदाताओं से तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली में स्थित लाइब्रेरी में कबाड (स्क्रेप) के रूप में उपलब्ध विभिन्न विधि पत्रिकाओं (लॉ जर्नलस) के खुले हिस्सों और बुरी तरह फटी हुई विभिन्न किताबों/बेयर एक्ट्स को ढेर के तौर पर एकमुश्त व "जैसी है जहां है" के आधार पर खरीद के लिए अपनी दरें पेश करने हेतु सीलबंद निविदाएँ/कोटेशनस आमंत्रित की जाती हैं।

निविदाएँ प्रस्तुत करने के लिए नियम एवं शर्तें:-

1. इच्छुक बोलीदाता लाइब्रेरी के स्टोर की गैलरी में पड़े उपरोक्त खुले जर्नलस/बुरी तरह फटी विभिन्न किताबों/बेयर एक्ट्स/स्क्रेप का निरीक्षण दिनांक 17.02.2025 को कार्यालय समय के दौरान तथा दिनांक 18.02.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक ही कर सकते हैं।
2. रेट/दरें दिनांक 18.02.2025 को सायं 03.30 बजे तक सीलबंद लिफाफे में दिए जाएंगे, जिन्हें देखरेख शाखा, कमरा नंबर 305, तीसरी मंजिल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में रखे सीलबंद बॉक्स में एकत्र किया जाएगा। किसी भी बोलीदाता को 18.02.2025 को सायं 03:30 बजे के बाद अपनी निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. आवेदकों को अपनी निविदा के साथ "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) की वापसी योग्य सुरक्षा राशि या इतनी ही राशि नकद रूप में जमा करनी होगी तथा इस सुरक्षा राशि के अभाव में प्रस्तुत निविदा/कोटेशन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
4. सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं की सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता की सुरक्षा राशि को बोली राशि में समायोजित (एडजस्ट) कर दिया जाएगा।
5. सीलबंद निविदाओं में उल्लिखित दर को संबंधित बोलीदाता की अंतिम दर (फाइनल रेट) माना जाएगा तथा किसी को भी उक्त दर को बढ़ाने या घटाने का अवसर नहीं दिया जाएगा।
6. उक्त सीलबंद निविदाएँ 18.02.2025 को अपराह्न 04:00 बजे कॉन्फ्रेंस रूम, भूतल, एक्सटेंशन ब्लॉक, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में उस समय वहाँ मौजूद बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी।

7. सफल बोलीदाता को बोली की पूरी राशि जमा करने के बाद ही नीलाम सामग्री को हटाने/ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
8. सफल बोलीदाता को अपनी उच्चतम बोली के लिए पूरी व अंतिम राशि/भुगतान सीलबंद निविदाओं को खोले जाने के अगले कार्यदिवस, जो है दिनांक 19.02.2025, को दोपहर 12:00 बजे तक अवश्य जमा करना होगा. अन्यथा उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा कार्य अगले/दूसरे उच्चतम बोलीदाता को दे दिया जाएगा।
9. यदि कार्य सौंपे जाने के 05 दिनों के भीतर सामग्री पूरी तरह से नहीं हटाई जाती है तो (निराकरण/कान्स्ट्रक्शन् बोर्ड की अनुमति से) सफल बोलीदाता का भुगतान जब्त कर लिया जाएगा।
10. नीलाम की गई सामग्री को हटाने/ले जाने के लिए श्रमशक्ति और परिवहन की व्यवस्था केवल सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी और न्यायालय प्रशासन द्वारा कोई श्रमिक/श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

**(भरत अग्रवाल)**  
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केंद्रीय)  
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।